

प्रपत्र-अ
राज्य बांसमिशन योजना अंतर्गत अनुदान राशि में अनियमितता
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 676 द्वारा श्री कुंवरजी कोठार माननीय विधायक
सामान्य वनमंडल राजगढ़

क.	वर्ष	राज्य बांस मिशन योजना में कृषि क्षेत्र में बांस रोपण अंतर्गत वनमंडल को आवंटित राशि	हितग्राही/कृषक का नाम	ग्राम का नाम	रोपित किये गये बांस के पौधों की संख्या	वितरित अनुदान राशि का विवरण				रिमार्क
						प्रथम वर्ष अनुदान		द्वितीय वर्ष अनुदान	तृतीय वर्ष अनुदान	योग वितरित अनुदान
						प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2019-20	3,00,000	श्री ए.आर. सिंह नि. धुआखेड़ी	धुआ खेड़ी	250	9000	5400	-	-	14400
2	2019-20		श्री ए.के. मल्ल नि. राजगढ़	राजगढ़	130	4680	-	-	-	4680
1	2020-21	2,72,688	श्रीमती सरदारबाई नि. पीपल्याकला	पीपल्याकला	380	13680	5400	-	-	19080
2	2020-21		श्रीमती अरुणा हाड़ा नि. राजगढ़	राजगढ़	350	0	-	-	-	0
3	2020-21		श्रीमती उर्मिला तंवर नि. टाडीखुर्द	टाडीखुर्द	350	0	-	-	-	0
4	2020-21		श्री ऊंकारलाल दोंगी नि. पीपल्याकला	पीपल्याकला	240	0	-	-	-	0
5	2020-21		श्री प्रेमनारायण नि. पीपल्याकला	पीपल्याकला	50	0	-	-	-	0
6	2020-21		श्री सत्यप्रकाश जोशी नि. हिरणखेड़ी	हिरणखेड़ी	350	0	-	-	-	0
7	2020-21		श्री भंवरलाल नि. पीपल्याकला	पीपल्याकला	1600	0	-	-	-	0
1	2021-22	88,200	श्री प्रदीप राणावत नि. राजगढ़	राजगढ़	4940	0	-	-	-	0
2	2021-22		श्रीमती रेखा टेन्टवाल नि. सारंगपुर	सारंगपुर	250	9000	6000	-	-	15000
3	2021-22		श्री सालिगराम नि. पीपल्या	पीपल्या	250	9000	6000	-	-	15000
4	2021-22		श्री जगदीश पालीवाल नि. पीपल्या	पीपल्या	250	9000	6000	-	-	15000
			योग -		1450	52200	34800	-	-	87000

[2/3/2023]

प्रश्न सं. [676]
कृषको ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
द्वितीय वर्ष का अनुदान निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किया जावेगा।
निर्धारित जीवितता प्रतिशत से कम जीवितता होने के कारण शेष भुगतान की पात्रता नहीं है।

5

क.	वर्ष	राज्य बांस मिशन योजना में कृषि क्षेत्र में बांस रोपण अंतर्गत वनमंडल को आवंटित राशि	हितग्राही/कृषक का नाम	ग्राम का नाम	रोपित किये गये बांस के पौधों की संख्या	प्रथम वर्ष अनुदान	द्वितीय वर्ष अनुदान	तृतीय वर्ष अनुदान	योग वितरित अनुदान	रिमाई
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								12
1	2022-23	5,40,000	श्री प्रदीप राणावत नि. राजगढ़	राजगढ़	1500	54000	-	-	-	भुगतान किया
2	2022-23		श्री दया राम तंवर नि. कांशी	ग्रामकांशी	1000	0	-	-	0	भुगतान कार्य प्रगतिरत।
3	2022-23		श्री रामप्रसाद तंवर नि. कांशी	ग्रामकांशी	1000	0	-	-	0	भुगतान कार्य प्रगतिरत।
4	2022-23		श्री कन्हैया लाल दौनीनि. लक्ष्मणपुरा	ग्राम लक्ष्मणपुरा	2000	72000	-	-	72000	भुगतान किया
5	2022-23		श्री जितेन्द्र सिंह सरावत नि. राजपुरा खेड़ा	ग्राम राजपुरा खेड़ा	2000	72000	-	-	72000	भुगतान किया
6	2022-23		श्रीराम प्रताप दौनी नि. लक्ष्मणपुरा	ग्राम लक्ष्मणपुरा	2000	0	-	-	0	भुगतान कार्य प्रगतिरत।
7	2022-23		श्री यशवंत रुहेलानि. पनाली	ग्रामपनाली	1000	36000	-	-	36000	1000 पौधों के लिये प्रथम किस्त रु. 36000/- भुगतान किया।
			श्री यशवंत रुहेला नि. पनाली	ग्रामपनाली	2000	0	-	-	0	2000 पौधों के लिये पृथक से आवेदन प्राप्त होने के कारण भुगतान प्रक्रिया में है।
8	2022-23		श्री महेन्द्र सिंह चौहान नि. झिरी	ग्राम झिरी	2500	0	-	-	0	भुगतान कार्य प्रगतिरत।
			योग -		15000	234000	-	-	234000	

14/2

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

अनुभाग अधिकारी, शाखा-2
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-676

माननीय सदस्य का नाम-श्रीकुंवरजी कोठार

सदन में उत्तर देने की दिनांक-02.03.2023

- 1) कृषक को बांस रोपण के लिये निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।
- 2) राज्य बांस मिशन द्वारा संबंधित वनमंडल के लिये निर्धारित लक्ष्य की सीमा में वनमंडलाधिकारी द्वारा कृषक को बांस रोपण की अनुमति दी जाती है।
- 3) म.प्र. राज्य बांस मिशन की वेब एप्लीकेशन ebamboobazar.org पर पंजीकरण कर बांस कृषक की जानकारी अंकित की जाती है।
- 4) कृषक को राज्य बांस मिशन से एक्कीडिटेड रोपणी या भारत सरकार के बायोटेक्नालॉजी विभाग से NCS-TCP प्रमाण पत्र प्राप्त टिशु कल्चर लंब से बांस के पौधे क्रय कर रोपित करने के बाद बिल की छायाप्रति के साथ वनमंडल में अपना क्लेम लगाना होता है।
- 5) क्लेम प्राप्त होने के बाद वनमंडलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से पौध रोपण का सत्यापन करवाकर प्रथम किश्त रुपये 36 प्रति पौधे का भुगतान PFMS से कृषक के बैंक खाते में करवाता है।
- 6) 4 माह पौध रोपण का वनमंडल के कर्मचारी द्वारा पुनः सत्यापन किया जाता है और जीवित पौधों के लिये रुपये 24 प्रति पौधा की द्वितीय किश्त PFMS के माध्यम से कृषक के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
- 7) राष्ट्रीय बांस मिशन भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार पौध रोपण के लिये दूसरे वर्ष में रुपये 36 तभी मिलते हैं जब 80 प्रतिशत से अधिक बांस के पौधे (समान आयु के पौधों से मृत पौधा बदलाव सहित) जीवित हो। राशि जीवित पौधों के लिये दी जाती है।
- 8) तृतीय वर्ष में रुपये 24 तभी दिये जाते हैं जब 100 प्रतिशत पौधे (समान आयु के पौधों से मृतपौधा बदलाव सहित) जीवित हो। राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना में यह प्रावधान है कि कृषक मृत पौधे हटाके समान आयु नये बांस के पौधे लगा सकता है लेकिन जीवितता 100 प्रतिशत होना चाहिए।

अनुभाग अधिकारी, शाखा-2
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग